मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 (श्रावण 6, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामाजिक न्याय, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, प्रदेश के बी.डी. एस. चिकित्सकों की प्रतिवर्ष डिग्री का नवीनीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(2) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री मूल सिंह (दादा भाई), सदस्य, भिण्ड जिले के सहकारी बैंक की शाखाओं में आग से हुई क्षति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के उमरी थाना प्रभारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रमेश दिलीप भटेरे, ताराचंद बावरिया, भगत सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम सेलवा में डेंगू बुखार से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत लगे ट्रांसफार्मर बंद होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री राव राजकुमार सिंह महुअन, सदस्य, अशोक नगर जिले के आनन्दपुर में स्थापित ट्रस्ट द्वारा आदिवासियों की जमीन बिना शासन की अनुमति से क्रय किये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल के जहांगीराबाद थाना अंतर्गत एक दलित महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य, जनपद पंचायत शाजापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सरपंच सेवा भत्ता की राशि से सामग्री क्रय किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य, दतिया जिले के वन क्षेत्रान्तर्गत रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के परासी विद्युत वितरण केन्द्र द्वारा अघोषित विद्युत कटौती किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, उज्जैन जिले की सम्पूर्ण तहसीलों में फसल बीमा की राशि न दिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(12) श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य, बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में भालू के काटने से कई लोगों के घायल होने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, होशंगाबाद जिले में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य, इंदौर जिले में अघोषित विद्युत कटौती किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सलैया में स्थित कंपनी द्वारा गिट्टी के स्थान पर डोलोमाईट का उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री मूल सिंह (दादा भाई), चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, अशोक नगर से गुना जा रही बस में बदमाशों द्वारा लूट-पाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, कटनी महापौर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति न दिये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री पारस "दादा", सदस्य, रतलाम जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, मैहर क्षेत्र में बरगी व्यपवर्तन योजना की नहर से ग्रामीणों की पैतृक सम्पत्ति नष्ट होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना स्थित शासकीय नर्सरी में अवैध अतिक्रमण होने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री विश्वेश्वर भगत, डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य, बालाघाट जिले में उल्टी-दस्त से अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री बालकृष्ण पाटीदार, सदस्य, इंदौर-खरगौन मार्ग पर पुल निर्माण से आवागमन अवरूद्ध होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों हेतु क्रय की गई वर्दी में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के अपात्र कृषकों को ऋण मुक्ति योजना का लाभ देकर अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से बाघ गायब होने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के आमला पुलिस थाने में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले की हटा कृषि उपज मंडी में कृषकों से अनाज की खरीदी न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(28) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट जिले के नावघाट नीलामी में नामजद रिपोर्ट करने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, दमोह जिले में बी.आर.जी.एफ. योजना में शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्य न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, सतना जिले के गांव सभापुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, रीवा में प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा रोजगार गारंटी योजना के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, इंदौर के ग्राम माता बरोड़ी स्थित शासकीय तालाब एवं आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में सिंचाई हेतु विद्युत प्रदाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित विद्यालय की भूमि को बेचे जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) सर्वश्री सुरेश चौधरी, एदल सिंह कंसाना, रामनिवास रावत, सदस्य, सबलगढ़ में एक व्यापारी से हुई लूट की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), कुं. विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य, प्रदेश की आंगनबाड़ी में प्रदाय किये जा रहे पोषण आहार में अनियमितता होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर एवं खनियाधाना विकास खंडों को कम राशि आवंटित किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री रामलखन सिंह, राजकुमार उरमलिया, रामगरीब कोल, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में अल्प वर्षा से सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) सर्वश्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर नगर निगम द्वारा पाइप लाईन हेतु खोदे गये गड्ढों की मरम्मत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के गोदना जलाशय के रिसाव से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) हनुमान टौरिया स्थित पानी की टंकी के समीप 200 मीटर की रिटेनिंग वाल बनाये जाने,

(ख) ग्राम नैगुआ व ग्राम दौलान के बीच नाले पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) जिले में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) कृषि उपज मंडी जामनी से आमघाट तक मण्डी निधि से रोड बनाये जाने,

(ख) ग्राम समरां की पुतनयाऊ तलैया का जीर्णोद्धार किये जाने, तथा,

(ग) जिला चिकित्सालय में शवगृह निर्माण एवं रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने,

(3) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के -

(क) शहर की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सी.आई.टी. में उन्नयन किये जाने,
(ख) शहर के शासकीय पालिटेकनिक कालेज को इंजीनियरिंग कालेज में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम सुरगांव बंजारी में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(घ) नगर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) तहसील विजयपुर के ग्राम जाखदा की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) तहसील विजयपुर के ग्राम दौई की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम इकलौद की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(घ) ग्राम सहसराम में ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने,

(5) श्री पारस "दादा", सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) नगर के वार्ड नं. 45 में कसई मण्डी से मोमिनपुरा तक सी.सी.रोड बनाये जाने,
(ख) नगर के वार्ड नं. 28 में गांधी स्कूल से सेवा मण्डल तक डामर रोड बनाये जाने,
(ग) आलोट के ग्राम बर्डिया गोयल के हाई स्कूल में तार फेंसिंग कराये जाने,
(घ) नगर के वार्ड नं.20में लालजीबाग की सरकारी बावड़ी को बंद कर सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(ङ) जावरा नगर में खाचरोद रोड पर माधवानंद आश्रम के पास ट्यूबवेल लगाये जाने, तथा
(च) नगर के वार्ड नं. 17 अशोक नगर की झुग्गियों के पास कच्चे नाले को पक्का नाला बनाये जाने,

(6) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) तहसील मैहर में रेल्वे फाटक पर ओव्हर ब्रिज एवं रेल्वे अण्डर ब्रिज बनाये जाने,
(ख) तहसील मैहर के शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय में रिक्त व्याख्याताओं की पद पूर्ति किये जाने,
(ग) ग्राम बठिया से चोरहटा रोड की नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(घ) तहसील मैहर के ग्राम भैसासुर की शासकीय प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
(ङ) मैहर के ग्राम बराखुर्द की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,तथा
(च) तहसील मैहर के ग्राम जतेयारी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(7) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम चरगवां,मवई,पोढ़ी,वसुधा, मसंधा गांव में माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन कराये जाने, तथा
(ख) बहोरीबंद में कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(8) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

(क) वार्ड क्र.14 स्थित नूरगंज लोहा मंडी बस्ती में विद्युत आपूर्ति हेतु नवीन तार एवं केवल लगाये जाने,
(ख) वार्ड क्र.16 रेशम मिल लाईन में पुराने पार्क का नवीन सिरे से निर्माण किये जाने,
(ग) वार्ड क्र.16 रेशम मिल लाईन में विद्युत आपूर्ति हेतु 10 खम्बे एवं तार लगाये जाने,
(घ) वार्ड क्र.12 स्थित अशोक टाकीज के पीछे शासकीय भूमि पर पार्क निर्माण कराये जाने,
(ङ) वार्ड क्र.6 मोहल्ला भंवर सिंह का बाड़ा झांसीगंज में पेयजल आपूर्ति हेतु बोरिंग किये जाने,
(च) वार्ड क्र.8 मेजर कालोनी गदाईपुरा कोयला वाला खेत में में विद्युत आपूर्ति हेतु 10 खम्बे एवं तार लगाये जाने,
(छ) वार्ड क्र.8 मेजर कालोनी गदाईपुरा कोयला वाला खेत में पेजजल आपूर्ति हेतु लाईन बिछाये जाने,
(ज) वार्ड क्र.8 स्थित शिवनगर, शमशान रोड़, गदाईपुरा में सी.सी. मार्ग निर्माण किये जाने,
(झ) वार्ड क्र.6 स्थित खाराकुंआ लधेड़ी में सी.सी. मार्ग निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 17 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत तथा श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में हो रहे लगातार अपराधों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 27 जुलाई, 2009

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.